न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 273 / 2022

1. विवान उम्र 10 वर्ष	पुत्र / पुत्री श्री राजकुमार नाबालिगान जरिए कुदरती वली माता श्रीमति तनुजा
2. शारवी उम्र 15 वर्ष	पत्नी श्री राजकुमार जाति बिश्नोई निवासी ग्राम थिराजवाला तह० पीलीबंगा

—— प्रार्थीगण

:बनाम:

1. राजकुमार पुत्र श्री रिछपाल जाति बिश्नोई निवासी ग्राम थिराजवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री संजय चाण्डक —— प्रार्थीगण
2. श्री अशोक कुमार बिरानिया —— अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। —— अप्रार्थी सं. 2

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 3/6/24

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.1955 अधिवक्ता श्री संजय चाण्डक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है कि प्रार्थीगण ने उक्त अनवान का वाद—पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष पूरा—पूरा प्रस्तुत कर दिया है जो जैरकार है। प्रार्थीगण को श्रीमान न्यायालय से न्याय प्राप्त होने की आशा है प्रार्थीगण के प्रार्थना—पत्र का भार संतुलन प्रथम द्रष्टवा प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण के पड़दादा श्री हरीराम पुत्र श्री रामप्रताप जाति बिश्नोई के नाम से चक 16 एल. जी. डब्ल्यू. के प0नं0 2 / 295 (20) के कि0नं0 5,6 में 0.506 है0 एंव प0नं० 1 / 297 (43) में स्थित कि0नं0 11, 12, 13, 14, 15/2 में 1.101 है० तथा प0नं0 4/298 (46) के कि0नं0 1 2 9, 10 में स्थित 0.949 है0 खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी प्रार्थीगण के पडदादा श्री हरीराम पुत्र श्री रामप्रताप की मृत्यु के उपरान्त उक्त वादाधिन रकबा उनके वारीसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। तथा उक्त पैतृककृषि भूमि में से प्रार्थीगण के पिता अर्थात अप्रार्थी नं० 1 को चक 16 एल. जी. डब्ल्यू. के प0नं0 1 / 297 (43) के कि0नं0 11 में 0.253 है0 तथा प0नं० 2/295 (20) के कि0नं0 5/15/25/36/16/2 में स्थित 0.506 है० कुल 0.759 है० मय रास्ता व खाला खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण ने अपने इस वाद—पत्र के माध्यम से चक 16 एल.जी.डब्ल्यू. में अपने पिता के नाम से दर्ज पैतृककृषि भूमि में अपने जन्म से निहित हक व हिस्सा की कृषि भूमि तक अनुतोष चाहा है। उक्त दर्शित वंश—वृक्षावली से स्पष्ट प्रतित हो रहा है कि प्रार्थना—पत्र की मद संख्या—3 में दर्ज पैतृककृषि भूमि में प्रार्थीगण प्रतेक का 1/3—1/3 हक व हिस्सा भूमि बनती है। प्रार्थीगण अपने पिता अर्थात अप्रार्थी नं० 1 के समान ही उक्त वादाधीन कृषि भूमि में अपने 1/31/3 हक व हिस्सा भूमि होने की घोषणा करवाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अपने हिस्सा की भूमि को दर्ज करवाने हेतु यह वाद—पत्र पेश किया है। वादाधिन कृषि भूमि मूल रूप से श्री हरीराम पुत्र श्री रामप्रताप की खातेदारी कृषि भूमि थी उनकी मृत्यु के पश्चात बाद के वर्षों में उक्त कृषि भूमि में से प्रार्थना पत्र की मद संख्या—3 में दर्ज कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हु[illegible]गण उक्त पैतृककृषि भूमि में अपने पिता के नाम से चक 16 एल.जी.डब्ल्यू. के [illegible] 297 [illegible] के [illegible]0 11 में स्थित 0.253 है0 तथा प0नं0 2 / 295 (20) के कि0नं0 5 / [illegible] 0.759 है0 कृषि भूमि में से प्रार्थीगण प्रतेक 1 / 3—1 /3 हक व हिस्सा [illegible] के कानून हकदार है [illegible]क 16 एल.जी. डब्ल्यु के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आ र[illegible]र्थीगण के पिता के नाम [illegible] ही प्रार्थीगण का नाम व साथी का 1/31/3 ब.हि.ब. कृषि भूमि होने की घोषणा स्वीकार किए जाने हेतु उक्त अनवान का वाद—पत्र पेश किया हुआ है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी नं० 1 से अनेकों बार निवेदन किया कि वादाधिन पैतृक कृषि भूमि में उनके हक व हिस्सा की भूमि का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उनके नाम से अंकन करा देवें । परन्तु अप्रार्थी नं० 1 किसी ना किसी बहाने से टालमटोल करता रहा है और अंत में

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.18 10:17:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थीगण को धमकी दी है कि यदि उन्होने उक्त कृषि भूमि में अपने हिस्सा की भूमि की मांग की तो वह उक्त खाते में दर्ज समस्त कृषि भूमि को हस्तान्तरित कर देगा । यदि अप्रार्थी अपने इस विधि–विरूद्ध उदेशय में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण के हितों पर ना पुरा होने वाला नुकसान हो जावेगा जिसकी बाद में पूर्ति भी संभव नहीं है। प्रार्थीगण वाद–पत्र/प्रार्थना–पत्र प्रस्तुतीकरण की दिनाक को नाबालिग है। इसलिए उनके हकों व हितों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों के अनुसार जरिए कुदरतीवली माता के द्वारा उक्त अनवान का वाद–पत्र/प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाये कि वादाधीन पैतृककृषि भूमि वाके चक 16 एल. जी. डब्ल्यु के प0नं0 1/297 (43) के कि0नं0 11 में स्थित 0.253 है० तथा प.नं. 2 / 295 (20) के कि0नं0 5 / 1 ता 6 / 2 में स्थित 0.506 है0 कुल 0.759 है० खातेदारी कृषि भूमि जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी नं० 1 के नाम से दर्ज है, को वाद–पत्र के अंतिम निर्णय तक किसी भी प्रकार से रहन, बैय, हस्तान्तरण नहीं करें तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया जिस पर एक पक्षीय बहस सुनवाई बाद दिनांक 28.12.2022 को अस्थाई व्यादेश प्रार्थीगण को जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री जगराज सिंह भारी द्वारा वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार है प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की मद संख्या में अंकित कथनो को प्रमाणित करने का दायित्व प्रार्थीगण पर है।प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 मे दर्ज कथन राजस्व रिकार्ड से संबंधित है जिन्हें प्रमाणित करने का भार प्रार्थीगण पर है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 मे दर्ज कथन राजस्व रिकार्ड से संबधित है जिन्हे न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करने का दायित्व प्रार्थीगण पर है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 मे दर्ज कथनों को दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करने का दायित्व प्रार्थीगण पर है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में दर्ज कथन स्वीकार है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 मे दर्ज कथन कयास पर आधारित है। प्रार्थीगण वादाधीन कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त करने के हकदार नहीं है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 में दर्ज कथनो को प्रमाणित करने का दायित्व प्रार्थीगण पर ही है। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार के हक व हिस्सा की घोषणा करवाने के हकदार नहीं है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 मे दर्ज कथन कल्पना मात्र है। एवं अस्वीकार है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 मे दर्ज कथन स्वीकार है। इसी मद के अन्त मे प्रार्थीगण ने जो अनुतोष चाहा है वह अस्वीकार है। जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जाये। प्रकरण में स्टेट जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। स्टेट जवाब बंद किया जाता है।

पत्रावली में उभय पक्ष अधिवक्ता बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षों के हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा सकती है दिनांक 28.12.2022 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 28.12.2022 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 3/6/24 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.18 10:17:17 IST
Reason: SelfAttested